न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–556/2026

एस.सी./एस.टी. थाना कांड सं0–05/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–115(2),126(2),118(1),76,352,351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

बलिस्टर सिंह व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री ठाकुर ज्वाला प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

23.03.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. बलिस्टर सिंह 2. टून्नु 3. राघो सिंह उर्फ राघव कुमार सिंह 4. शिवजी सिंह 5. प्रेम सागर सिंह की ओर से एस.सी./एस.टी. थाना कांड संख्या 05/2026, अंतर्गत धारा–115(2),126(2),118(1),76,352,3(5),351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, शारधा देवी के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका अनुसूचित जाति/जनजाति की गरीब महिला है उसकी खतियानी जमीन, खाता नं0 30, 282, सर्वे नं0 535, 536, 537, को उसके ही गांव के प्रेमसागर सिंह, टूनु, बलिस्टर सिंह, राघो सिंह, शिवजी सिंह, अपनी जमीन बता कर उसे हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर उस जमीन पर वे लोग चोरी छुपे ईट से घेराबंदी करते हैं। जब सूचिका देखती है तो वे लोग उसे जाति सूचक गाली देकर जान से मारने की धमकी देने लगते है। उसके द्वारा अंचल अधिकारी के पास भी आवेदन दिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा उस जमीन पर कार्य करने की रोक लगा दी गई, इसके बावजूद दिनांक 28.01.2026 को समय करीब सुबह 10 बजे के करीब सभी नामजद व्यक्ति मिलकर उसकी खतियानी जमीन पर ईट से घेराबंदी करा रहे थे। जब इसकी जानकारी सूचिका को हुई तो सूचिका वहॉ रोकने गई तो सभी नामजद व्यक्ति उसे जाति सूचक गाली देकर बोले कि जमीन हड़प कर ही रहेंगे। तुम सबको जो करना है कर लो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कहते हुए सभी नामजद व्यक्ति लाठी, डंडा, रड, दाब से उसे मारने पीटने लगे और मारने के क्रम में उसे निवस्त्र करने की नियत से सूचिका का कपड़ा फाड़ने लगे। शारधा देवी को प्रेम सागर एवं टूनु दोनों ने रड से मारकर उसका सिर फोड़ दिया तथा अन्य सभी सूचिका को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिए। सूचिका के शरीर में बहुत अंदरूनी चोट लगा। सभी अभियुक्तगण उसे जान मारने की धमकी दिए।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे परेशान करने के उद्देश्य

लगातार
23.03.2026

से झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि सूचिका और सह हिस्सेदार के पूर्वज ने उक्त भूमि को आवेदकगण के पूर्वज को वर्ष 1952 और 1953 में ही बेच दिया था और तब से आवेदकगण के पूर्वज का उस जमीन पर पूर्ण कब्जा है। लगभग 75 वर्ष बाद सूचिका और अन्य सह हिस्सेदारों ने झूठे एवं मनगढ़ंत मामले के आधार पर उक्त जमीन को हड़पना चाहते हैं। उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त स्थल पर कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि यह झूठा मामला अनुसूचित जाति/जनजाति थाना की मिलीभगत से सरकारी राशि को अवैध रूप से हड़पने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद एस.सी./एस.टी. थाना कांड संख्या 05/2026, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 118(1),76, 352, 3(5), 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका की जमीन हड़पने की नियत से गाली–गलौज कर मारपीट करने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 7,8,17,18)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अन्य धाराओं के साथ–साथ अनु.जा. ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम का प्रथम दष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा.ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18 A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त 1. बलिस्टर सिंह 2. टून्नु 3. राघो सिंह उर्फ राघव कुमार सिंह 4. शिवजी सिंह 5. प्रेम सागर सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।